भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 163
सोमवार, 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

सुरक्षा और श्रम मुद्दों का अनुपालन

163. श्री चन्द्रशेखर साहू:
श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के तीव्र आर्थिक विकास और वैश्विक बाजारों में इसके एकीकरण के संदर्भ में सुरक्षा और श्रम संबंधी मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर ओडिशा और महाराष्ट्र में सुरक्षा और श्रम संबंधी मुद्दों के अनुपालन की जांच करने के लिए सरकार के पास मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसका अनुपालन न किए जाने से गैर-टैरिफ व्यापार बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं जिससे हमारी विकास बाधित हो सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में सुरक्षा और श्रम संबंधी मुद्दों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में नियोजित कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम एवं इसके तहत तैयार किए गए नियमों में स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, जोखिमकारी प्रक्रियाओं, कार्य घंटे, दंड और पद्धतियों आदि से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ)/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक (डीआईएसएच) के माध्यम से लागू किया जाता है।

कार्यस्थल पर गैर-अनुपालन, असुरक्षित परिस्थितियों और असुरक्षित रूप से किए गए कार्यों से होता है, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना/ खतरनाक घटनाएं घट सकती है, जिससे मृत्यु, संपत्ति एवं कार्य स्थल की हानि हो सकती है। इससे कार्यस्थल पर उत्पादकता में क्षति होती है और अंततः कार्य स्थल पर उत्पादन बाधित होता है।

जारी---

इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों के अधिभोगी और प्रबंधकों से यह अपेक्षित है कि वे कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करें। इसके किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सीआईएफ/ डीआईएसएच को कारखानों के अधिभोगी और प्रबंधक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई आरंभ करने का अधिकार है।

डीजीएफएएसएलआई द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2020 से 2022 के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96-क के अंतर्गत अभियोजन और दोषसिद्धि का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा, कारखाना अधिनियम, 1948 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 में सम्मिलित कर दिया गया है। संहिता को 29 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया है।

*

*****

<u>अनुबंध</u>

"सुरक्षा और श्रम मुद्दों का अनुपालन" के संबंध में श्री चंद्र शेखर साहू और श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा दिनांक 04.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 163 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

<u>कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 और 96क के अंतर्गत अभियोजन और दोषसिद्धि</u>

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020					
		अभियोजनों की संख्या			दोषसिद्धयों की संख्या	लगाया गया जुर्माना	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान आरंभ किया गया	वर्ष के दौरान लिया गया निर्णय		कारावास	लगाया गया कुल जुर्माना
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	1281	256	18	8	#	317000
3	अरुणाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
4	असम	133	5	#	#	#	#
5	बिहार	243	20	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ	364	204	108	98	#	4554501
8	दमन व दीव एवं दादरा और नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	206	30	33	33	#	70000
10	गोवा	12	1	1	#	#	#
11	गुजरात	16397	1466	379	379	#	3615800
12	हरियाणा	9157	2180	912	598	#	3522500
13	हिमाचल प्रदेश	427	44	#	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	26	16	10	10	#	49000
15	झारखंड	369	11	1	#	#	#
16	कर्नाटक	694	103	83	27	8	1172000
17	केरल	197	33	24	14	#	246000
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	2112	98	4	#	#	114000
20	महाराष्ट्र	2481	405	226	224	#	6408000
21	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
22	मेघालय	#	#	#	#	#	#
23	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
24	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
25	ओडिशा	2606	77	#	#	#	#
26	पुदुचेरी	5	4	4	#	#	#
27	पंजाब	1102	9	16	2	1	256700
28	राजस्थान	283	31	4	#	#	60000
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	10927	2231	1089	1067	1	10242500
31	तेलंगाना	2668	184	111	98	#	1840000
32	त्रिपुरा	4	#	#	#	#	#
33	उत्तर प्रदेश	2391	70	5	5	#	194000
34	उत्तराखंड	19	12	19	#	#	#
35	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**54104**	**7490**	**3047**	**2563**	**10**	**32662001**

डाटा स्रोत: डीजीफासली द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े।

नोट: (i) *: इस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई पंजीकृत कारखाने नहीं हैं।

(ii) #: सी.आई.एफ. द्वारा डेटा नहीं भेजा गया/शून्य डेटा

कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 और 96 क के अंतर्गत अभियोजन और दोषसिद्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021					
		अभियोजनों की संख्या			दोषसिद्धियों की संख्या	लगाया गया जुर्माना	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान आरंभ किया गया	वर्ष के दौरान लिया गया निर्णय		कारावास	लगाया गया कुल जुर्माना
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	1562	602	215	215	#	3459500
3	अरुणाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
4	असम	22	#	#	#	#	#
5	बिहार	263	30	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ	460	178	181	104	#	15861000
8	दमन व दीव एवं दादरा और नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	203	32	15	32	#	159000
10	गोवा	17	6	3	2	#	60000
11	गुजरात	17484	2312	1376	1285	#	13022500
12	हरियाणा	8146	3120	2541	1823	#	7302500
13	हिमाचल प्रदेश	471	26	34	34	#	623000
14	जम्मू और कश्मीर	31	17	7	7	#	20000
15	झारखंड	367	16	1	#	#	#
16	कर्नाटक	714	88	80	30	6	1172000
17	केरल	207	31	37	26	2	683500
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	2206	91	30	#	#	1554000
20	महाराष्ट्र	2429	547	412	83	#	5675500
21	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
22	मेघालय	#	#	#	#	#	#
23	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
24	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
25	ओडिशा	2683	60	3	#	#	#
26	पुदुचेरी	5	8	7	#	#	440000
27	पंजाब	#	#	#	#	#	#
28	राजस्थान	310	22	7	#	#	655000
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	7559	1682	1335	1297	#	12149000
31	तेलंगाना	2825	179	144	72	#	1935000
32	त्रिपुरा	8	1	2	2	#	11000
33	उत्तर प्रदेश	#	#	#	#	#	#
34	उत्तराखंड	12	20	19	#	#	#
35	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**47984**	**9068**	**6449**	**5012**	**8**	**64782500**

डाटा स्रोत: डीजीफासली द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े।

नोट: (i) *: इस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई पंजीकृत कारखाने नहीं हैं।

(ii) #: सी.आई.एफ. द्वारा डेटा नहीं भेजा गया/शून्य डेटा

कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 और 96 क के अंतर्गत अभियोजन और दोषसिद्धि

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2022					
		अभियोजनों की संख्या			दोषसिद्धयों की संख्या	लगाया गया जुर्माना	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान आरंभ किया गया	वर्ष के दौरान लिया गया निर्णय		कारावास	लगाया गया कुल जुर्माना
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	1925	269	168	137	#	2526000
3	अरुणाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
4	असम	22	26	#	#	#	#
5	बिहार	273	34	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ	457	238	238	144	#	19198000
8	दमन व दीव एवं दादरा और नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	220	30	49	49	#	614000
10	गोवा	22	2	2	1	#	50000
11	गुजरात	14619	2806	3890	1497	#	22444000
12	हरियाणा	6814	4787	3256	1946	#	10924200
13	हिमाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	41	13	#	#	#	#
15	झारखंड	412	33	2	#	#	#
16	कर्नाटक	613	194	155	86	10	3311100
17	केरल	216	22	45	37	#	811000
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	#	#	#	#	#	#
20	महाराष्ट्र	2546	481	457	377	#	14526000
21	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
22	मेघालय	#	#	#	#	#	#
23	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
24	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
25	ओडिशा	#	#	#	#	#	#
26	पुदुचेरी	6	1	1	#	#	90000
27	पंजाब	#	#	#	#	#	#
28	राजस्थान	325	20	13	4	#	15000
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	#	#	#	#	#	#
31	तेलंगाना	#	#	#	#	#	#
32	त्रिपुरा	8	4	4	2	#	90000
33	उत्तर प्रदेश	#	#	#	#	#	#
34	उत्तराखंड	13	19	19	#	#	#
35	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**28532**	**8979**	**8299**	**4280**	**10**	**74599300**

डाटा स्रोत: डीजीफासली द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े।

नोट: (i) *: इस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई पंजीकृत कारखाने नहीं हैं।
(ii) #: सी.आई.एफ. द्वारा डेटा नहीं भेजा गया/शून्य डेटा